



पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



CIRCULAR

PFRDA/2022/29/ASP-EXIT/02

20th Oct 2022

To,
All NPS Stake Holders

Subject: Processing Death Claims where Nomination is changed post death of Subscribers

Nomination can be made only by the subscriber. However, there are special provisions enabled as per exit regulations for treating the nomination as made in the service records to protect the interest of the subscribers who were employed and covered under NPS through their employers.

The following points are clarified for the benefit of various intermediaries which are associated with exit processing viz Nodal officers of Govt/ Non Govt Sector, POPs and NPST in order to facilitate seamless claim processing.

1. Any changes in the nomination post death of the Subscriber using the deceased Subscribers' login credentials shall be treated as *invalid*.
2. All those cases with those invalid nominations, the *valid nomination made by the Subscriber (valid nomination are those which fulfil nomination rules defined by PFRDA as provided in its exit Regulations & the same provided at Annexure) before death shall be considered for claim processing.*
3. Those cases with invalid nomination and as defined in Exit Regulations 3(c) & 4(c) in Government and Non-Government Sector respectively, the claims need to be processed by the respective intermediary and the eligible corpus has to be paid to the *legal heirs*.
4. Subscribers covered under Govt Sector (sub-clause(c) of Regulation 3) and Corporate sub-clause(c) of Regulation 4, where no valid nomination exists in accordance with exit regulations: At the time of exit of such subscriber on account of death, the nomination, if any existing in the records of such subscriber with his or her employer for the purpose of receiving other admissible terminal benefits shall be treated as nomination exercised for the purposes of receiving benefits under the NPS as per the provisions of Exit Regulations 32(xii).

5. The intermediaries associated with processing of claims are to be provided with the required functionality/ system interface in their user login by CRAs to capture the claimant details viz legal heirs or nominee as per employer records as the case may be, if those invalid nominations are observed. *In the system interface, the employer has to specify and declare and certify that the nomination exists in the service record of the employee are being considered for claim settlement.*
6. In case of Subscribers under UOS: Any changes in the nomination post death of the Subscriber using the deceased Subscribers', login credentials shall be treated as invalid and the amount needs to be settled in favour of legal heirs.

Chief General Manager

CHAPTER VII of PFRDA(Exits and Withdrawals under the NPS)Regulations, 2015:

Regulation 32. Nomination. - Notwithstanding anything contained in these regulations or in any other law for the time being in force, a subscriber, at the time of joining the National Pension System is required to make a nomination, in the specified form, conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to the subscriber's credit in the accumulated wealth or fund in the event of the subscriber's death or the subscriber missing and presumed dead as per the provisions of the *Indian Evidence Act 1872* and amendments thereto, before that amount becomes payable or having become payable has not been paid. The nominee or nominees, as the case may be, shall be entitled, on the death of the subscriber or the subscriber missing and presumed dead to receive, to the exclusion of all other persons, all such moneys which have so remained unpaid:

Provided that, -

- (i) if the nominee predeceases the subscriber, the nomination shall so far as it relates to the right conferred upon the said nominee, become void and of no effect;
- (ii) where a provision has been duly made in the nomination, in accordance with these regulations, conferring upon some other person the right to receive all such moneys, which have so remained unpaid, in the event of the nominee predeceasing the subscriber, such right shall, upon the nominee being deceased, pass to such other persons standing as nominees;
- (iii) a subscriber may in his nomination distribute the amount that may stand to his credit in the fund amongst his nominees at his own discretion;
- (iv) if a subscriber has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his family. Any nomination made by such subscriber in favour of a person not belonging to his family shall be invalid;
- (v) a fresh nomination shall be made by the subscriber on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid;
- (vi) if at the time of making a nomination the subscriber has no family, the nomination may be in favour of any person or persons but if the subscriber subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and the subscriber shall make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to his family;
- (vii) where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the subscriber may, for the purposes of this Scheme, appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee in the event of the subscriber predeceasing the nominee and the guardian so appointed;
- (viii) where there is no major person in the family, the subscriber may, at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee;

- (ix) a nomination made under the National Pension System may at any time be modified by a subscriber after giving a written notice of his intention of doing so in the mode as may be specified. A nomination or its modification so made shall take effect to the extent that it is valid on the date on which it is received by the intermediary or nodal office under the National Pension System;
- (x) if a subscriber proves that his spouse has ceased, under the personal law governing him or her, or the customary law of the community to which the spouses belong, to be entitled to maintenance he or she shall no longer be deemed to be a part of the subscriber's family for the purpose of this Scheme, unless the subscriber subsequently intimates by express notice in writing to the designated intermediary for the purpose that he or she shall continue to be so regarded; and
- (xi) if a subscriber by notice in writing to the designated intermediary for the purpose expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed to be a part of the subscriber's family for the purpose of this Scheme, unless the subscriber subsequently cancels in writing any such notice.
- (xii) In respect of subscribers covered under sub-clause(c) of Regulation 3 and subclause(c) of Regulation 4, where no valid nomination exists in accordance with these regulations, at the time of exit of such subscriber on account of death, the nomination, if any existing in the records of such subscriber with his or her employer for the purpose of receiving other admissible terminal benefits shall be treated as nomination exercised for the purposes of receiving benefits under the National Pension System. The employer shall send a confirmation of such nomination in its records, to the National Pension System Trust or the central recordkeeping agency, while forwarding the claim for processing.]

Explanation I - For the purposes of nomination wherever provided in this regulation,-

(a) the expression "family",

- (i) in relation to a male subscriber, shall mean his legally wedded wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and his deceased son's widow and children;
- (ii) in relation to a female subscriber, shall mean her legally wedded husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents, her husband's dependent parents and her deceased son's widow and children;
- (iii) in relation to any subscriber who does not identify themselves as male or female, shall mean their legally wedded spouse, their children, whether married or unmarried, their dependent parents and their deceased son's widow and children;]

Explanation II -In any of above three, if the child of a subscriber or as the case may be, the child of a deceased son of the subscriber has been adopted by another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognized, such a child shall be considered as excluded from the family of the subscriber.

Important Note for Stake Holders: Please refer PFRDA Regulations: <https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=72> for complete information.



CIRCULAR

Circular no: PFRDA/2022/29/ASP-EXIT/02.

20 अक्टूबर, 2022

प्रति,
सभी हितधारक,

विषय : अभिदाता की मृत्यु के बाद बदले गए नामितिकरण के मामलों में मृत्यु दावों का संसाधन

नामितिकरण केवल अभिदाता द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि, निकास नियमों के अनुसार सेवा रिकॉर्ड में निर्दिष्ट नामितिकरण को मानने हेतु कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि उन अभिदाताओं के हितों की रक्षा की जा सके, जो कि सेवारत थे तथा अपने नियोक्ताओं द्वारा एनपीएस के तहत शामिल किए गए थे।

निकास प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मध्यवर्तियों अर्थात् सरकारी / गैर सरकारी क्षेत्र के नोडल अधिकारी, पीओपी, एनपीएसटी के लाभ के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है ताकि दावा प्रसंस्करण की प्रक्रिया निर्बाध रूप से प्रदान की जा सके।

1. मृतक अभिदाता के लॉगिन विवरणों का उपयोग करके अभिदाता की मृत्यु के बाद नामितिकरण में किसी भी प्रकार के बदलाव को अमान्य माना जाएगा।
2. ऐसे अमान्य नामितिकरण वाले मामले में, अभिदाता द्वारा मृत्यु से पूर्व किए गए वैध नामितिकरण को दावा प्रसंस्करण के लिए मान्य समझा जाएगा। (वैध नामितिकरण वे हैं, जो पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित उन नामितिकरण नियमों को पूरा करते हैं, जो अनुलग्नक में प्रदान किए गए हैं)
3. अमान्य नामितिकरण वाले मामले और निकास विनियम 3 (ग) और 4 (ग) में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए क्रमशः यथापरिभाषित मामलों में दावों को सम्बंधित मध्यवर्ती इकाई द्वारा संसाधित किया जाना चाहिए और पात्र कोष का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाना चाहिए।
4. सरकारी क्षेत्र (विनियमन 3 के उपखंड (ग)) और कॉर्पोरेट क्षेत्र (विनियम 4 के कॉर्पोरेट उप-खंड (ग)) के तहत कवर किए गए अभिदाता, जहां निकास नियमों के अनुसार कोई वैध नामितिकरण मौजूद नहीं है: अभिदाता की मृत्यु होने के कारण निकास पर, यदि ऐसे अभिदाता के नियोक्ता के रिकॉर्ड में अन्य ग्राह्य आवधिक लाभ प्राप्त करने हेतु नामितिकरण दर्ज हो तो, इसे निकास विनियम 32 (xii) के प्रावधानों के अनुसार एनपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए नामितिकरण के रूप में माना जाएगा।

5. दावों के प्रसंस्करण से जुड़ी मध्यवर्तियों को उनके यूज़र लॉग इन में सीआरए द्वारा आवश्यक कार्यप्रणाली / सिस्टम इंटरफ़ेस प्रदान किया जाना है जिससे अमान्य नामितिकरण के मामलों में, दावाकर्ता से सम्बंधित विवरण जैसे नियोक्ता रिकार्ड्स के अनुसार विधिक वारिस या नामिति, जैसा भी मामला हो, को कैप्चर किया जा सके। सिस्टम इंटरफ़ेस में, नियोक्ता को यह निर्दिष्ट एवं घोषित और प्रमाणित करना होगा कि कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में मौजूद नामितिकरण पर दावा प्रसंस्करण के लिए विचार किया जा रहा है।

6. असंगठित क्षेत्र के अभिदाताओं के मामले में: मृतक अभिदाता के लॉग इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए मृत्यु के बाद नामितिकरण में किसी भी बदलाव को अमान्य समझा जाएगा और कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में धनराशि का निपटान किया जाना चाहिए।

मुख्य महाप्रबन्धक

पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 का अध्याय VII

विनियम 32. नामितिकरण - इन विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ने वाले किसी अभिदाता से, विनिर्दिष्ट प्ररूप में, एक या अधिक व्यक्तियों को, ऐसी रकम जो अभिदाता के खाते में विद्यमान है, उसके सन्देय होने के पूर्व या सन्देय हो जाने पर संदत्त नहीं की गई है, अभिदाता की मृत्यु हो जाने की दशा में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और उसके संशोधनों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार अभिदाता को लापता या मृत घोषित कर दिए जाने पर संचित धनराशि या संचित निधि के रूप में उसकी जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए नामितिकरण करने की अपेक्षा होगी। नामिति अथवा नामितियों को अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर या अभिदाता को लापता या मृत घोषित कर दिए जाने पर, ऐसी सभी धनराशियों को, जो सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके असंदत्त है, प्राप्त करने का, यथास्थिति हक होगा।

परन्तु-

- (i) यदि नामिति की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है तो नामितिकरण, जहाँ तक उसका सम्बन्ध नामिति को प्रदत्त अधिकारों से है, शून्य हो जाएगा ;
- (ii) जहाँ इन विनियमों के अनुसार नामिति की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाने की दशा में नामितिकरण में सम्यक् रूप से किए गए किसी उपबंध में ऐसी सभी धनराशियाँ, जो अभी तक असंदत्त हैं, प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त किया गया है, वहाँ ऐसा अधिकार नामिति की मृत्यु हो जाने पर नामिति के रूप में प्रत्यास्थापित ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा ;
- (iii) अभिदाता अपने नामितिकरण में ऐसी रकम को, जो उसकी निधि में जमा है, अपने स्वयं के विवेकाधिकार से अपने नाम निर्देशितियों के बीच वितरित कर सकेगा ;
- (iv) यदि नामितिकरण के समय किसी अभिदाता का कुटुंब है तो नामितिकरण, उसके कुटुंब के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाएगा। ऐसे अभिदाता द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामितिकरण, जो उसके कुटुंब का सदस्य नहीं है, अविधिमान्य होगा ;
- (v) अभिदाता द्वारा, उसका विवाह होने पर नए सिरे से नामितिकरण किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किया गया कोई नामितिकरण अविधिमान्य समझा जाएगा ;
- (vi) यदि नामितिकरण करने के समय अभिदाता का कोई कुटुंब नहीं है तो नामितिकरण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा किन्तु तत्पश्चात् यदि अभिदाता कोई कुटुंब अर्जित कर लेता है तो ऐसा नामितिकरण तत्काल अविधिमान्य समझा जाएगा और अभिदाता अपने कुटुंब के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नए सिरे से नामितिकरण करेगा ;
- (vii) जहाँ कोई नामितिकरण पूर्ण रूप से या भागतः किसी अवयस्क के पक्ष में किया जाता है वहाँ अभिदाता, इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, अपने कुटुंब के किसी वयस्क व्यक्ति को, अभिदाता की नामिति और इस प्रकार नियुक्त संरक्षक से पहले मृत्यु होने की दशा में अवयस्क नामिति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा ;
- (viii) जहाँ कुटुंब में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है वहाँ अभिदाता अपने विवेकाधिकार से किसी अन्य व्यक्ति को, अवयस्क नामिति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा ;
- (ix) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किया गया कोई नामितिकरण अभिदाता द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय उपांतरित किया जा सकेगा। कोई नामितिकरण या इस प्रकार किया गया उपान्तरण, उस विस्तार तक प्रभावी होगा जहाँ तक वह उस तारीख को, जिसको यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी मध्यवर्ती या नोडल कार्यालय को प्राप्त होता है, विधिमान्य है ;
- (x) यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसके पति या पत्नी ने, उसे शासित करने वाली स्वीय विधि या उस समुदाय की, जिसका पति या पत्नी है, रुदिजन्य विधि के अधीन भरणपोषण का हकदार नहीं है तो वह इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए अभिदाता के कुटुंब का भाग तब तक नहीं समझा जाएगा या समझी जाएगी, जब तक अभिदाता उसके बाद अभिहित मध्यवर्ती को, उक्त प्रयोजन के लिए कि उसका उससे सम्बन्ध बना हुआ है, लिखित सूचना द्वारा सूचित नहीं कर देता है ; और
- (xi) यदि अभिदाता उक्त प्रयोजन के लिए अभिहित मध्यवर्ती को लिखित सूचना द्वारा अपने पति को कुटुंब से अपवर्जित करने की वांछा करती है तो पति और उसके आश्रित माता-पिता को इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अभिदाता के कुटुंब का भाग नहीं समझा जाएगा तब तक अभिदाता तत्पश्चात् लिखित में ऐसी सूचना को रद्द न कर दे।

(xii) विनियमन 3 के उपखंड (ग) और विनियमन 4 के उपखंड(ग) के अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं के सम्बन्ध में, जहां इन वैध मानदंडों एवं विनियमों के अनुसार नामिति नहीं मौजूद है, मृत्यु के कारण ऐसे अभिदाताओं के बाहर निकलने के समय, नामांकन, यदि अन्य स्वीकार्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उसके नियोक्ता के अभिलेखों में मौजूद किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए नामिति के रूप में माना जाएगा । प्रसंस्करण के लिए दावे को अग्रेषित करते समय, नियोक्ता, अपने अभिलेखों में इस तरह के नामांकन की पुष्टि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजेगा ।

स्पष्टीकरण 1- इस विनियम में प्रदत्त नामितिकरण के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कुटुंब" पद से,-

- (i) पुरुष अभिदाता के सम्बन्ध में उसकी विधितः विवाहित पत्नी, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत होगा ;
- (ii) किसी महिला अभिदाता के सम्बन्ध में उसका विधितः विवाहित पति, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत होगा ;
- (iii) किसी भी ऐसे अभिदाता के संबंध में जो पुरुष या महिला के रूप में अपनी पहचान नहीं रखता है, उसका विधितः विवाहित पति या पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उनके आश्रित माता-पिता और उनके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे ;"

स्पष्टीकरण 2 – उपरोक्त तीनों दशाओं में यदि किसी अभिदाता के, यथास्थिति, बच्चों या यथास्थिति अभिदाता के मृतक पुत्र के बच्चे का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और यदि दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन दत्तक ग्रहण वैध रूप से मान्यताप्राप्त है तो ऐसे बच्चे को अभिदाता के कुटुंब से यथा अपवर्जित समझा जाएगा ।

हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना : सम्पूर्ण जानकारी के लिए कृपया <https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=72> पर पीएफआरडीए विनियम देखें ।